

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1090 सन 2019

अनवान :-

1. संजय कडवासरा पुत्र सुभाष जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. रोहिताश पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र पूरा जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. सुभाष पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. नत्थुराम पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. निराणीदेवी पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. गिरदावरी पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. सुमित्रा पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
7. निर्मला पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
8. भालादेवी उर्फ राजबाला पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
9. मितोदेवी उर्फ सुमित्रा पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
10. मनरूप पुत्र चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
11. तारोदेवी पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
12. इन्द्रा पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
13. सन्तो पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
14. माया पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
15. सुमन पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
16. प्रियंका पुत्री सुभाष जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
17. कृष्णा पुत्री नत्थुराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 19/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की

रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 332/317 की कुल 4.0340 हैक एवं रोही मौजा उम्मेदपुरा

के खाता संख्या 42/62 में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पुर्वज पुराराम ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 वादी की मृतक बुआ चमेली के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 16 वादी की बहन व प्रतिवादी संख्या 17 वादी संख्या 2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 4 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने उम्मेदपुरा की भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हकों को त्याग किया जा चुका है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता पुराराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है अर्थात् पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 17 जो वादी की बहने/बुआ /दादा है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 332/317 की कुल 4.0340 हैक् एवं रोही मौजा उम्मेदपुरा के खाता संख्या 42/62 में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पुर्वज पुराराम ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1

के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 वादी की मृतक बुआ चमेली के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 16 वादी की बहन व प्रतिवादी संख्या 17 वादी संख्या 2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 4 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने उम्मेदपुरा की भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हकों को त्याग किया जा चुका है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आर.आर.सी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चरपा होते हैं अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 332/317 की कुल 4.0340 हैक एवं रोही मौजा उम्मेदपुरा के खाता संख्या 42/62 में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वज पुराराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पत्ति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पत्ति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 17 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है

अर्थात् परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 332/317 की कुल 4.0340 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा उम्मेदपुरा के खाता संख्या 42/62 में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. संजय कडवासरा पुत्र सुभाष जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. रोहिताश पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

वादी

बनाम

- 1 श्रीराम पुत्र पूरा जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 2 सुभाष पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 3 नत्थुराम पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 4 निराणीदेवी पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 5 गिरदावरी पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 6 सुमित्रा पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 7 निर्मला पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 8 भालादेवी उर्फ राजबाला पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 9 मितोदेवी सुमित्रा पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 10 मनरूप पुत्र चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 11 तारोदेवी पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 12 इन्द्रा पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 13 सन्तो पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 14 माया पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 15 सुमन पुत्री चमेली पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 16 प्रियंका पुत्री सुभाष जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 17 कृष्णा पुत्री नत्थुराम जाति जाट साकिन लाखासर हाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1090 सन 2019 निर्णय दिनांक- 19/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 332/317 की कुल 4.0340हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा उम्मेदपुरा के खाता संख्या 42/62 में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)